प्रेस विज्ञप्ति
19.10.2026

ईडी द्वारा दो सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में व्हाट्सऐप-आधारित "पंप एंड डंप" धोखाधड़ी के मामले में 6 शहरों में 29 परिसरों पर तलाशी अभियान

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय-I ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 16.10.2026 को मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत और भावनगर में स्थित 29 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशियाँ सूचीबद्ध कंपनियों, जिनमें मेसर्स आर. एम. ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स सिस्टम्स लिमिटेड तथा मेसर्स आर एंड बी डेनिम्स लिमिटेड शामिल हैं, के शेयरों में हेरफेर से संबंधित हैं।

तलाशी लिए गए परिसरों में दोनों कंपनियों के कार्यालय, उनके प्रवर्तकों के आवास, कम कीमतों पर शेयर आवंटित किए गए व्यक्तियों के आवास, स्टॉक-ब्रोकिंग एवं वित्तीय कंपनियों के कार्यालय तथा उन व्यक्तियों के परिसर शामिल थे, जिन पर प्रचार संबंधी व्हाट्सऐप समूह संचालित करने का संदेह है।

संबद्ध व्यक्तियों के एक सीमित समूह को अधिमान्य आधार पर शेयर आवंटन – पीएमएलए के अंतर्गत की गई जाँच से पता चला कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच दोनों कंपनियों ने चुनिंदा व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 3.5 करोड़ से अधिक शेयर और परिवर्तनीय वारंट जारी किए। इन आवंटनों के लिए भुगतान की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा आपस में जुड़े व्यक्तियों, फर्मों और ऋणदाताओं के एक छोटे समूह से आया था। इसके बाद के महीनों में शेयरों की कीमतों को लगातार बढ़ाया गया, जबकि अधिकांश शेयर उन्हीं व्यक्तियों के पास बने रहे।

खुदरा निवेशकों को लक्षित करने वाला व्हाट्सऐप "टिप" अभियान – दिसंबर 2025 के अंत से फरवरी 2026 तक, "मल्टीबैगर स्टॉक्स" जैसे नामों वाले व्हाट्सऐप समूहों ने खुदरा निवेशकों को इन शेयरों को खरीदने के लिए प्रतिदिन "टिप्स" भेजीं। ये समूह हरियाणा और मुंबई में अन्य व्यक्तियों के नाम पर प्राप्त सिम कार्डों के माध्यम से संचालित होते थे, जबकि इनका संचालन गुजरात के भावनगर से किया जा रहा था। इन टिप्स के प्रभाव में आकर दोनों कंपनियों के शेयरों को खरीदने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई, जिससे शेयरों की कीमतों में और वृद्धि हुई।

"डंप" अर्थात शेयरों की बिक्री और निवेशकों को हुआ नुकसान – ऐसा प्रतीत होता है कि आरएमडीएसएसएल के शेयरों में खरीदारी की रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न व्हाट्सऐप समूहों के माध्यम से प्रचार किया गया। जिस अवधि में व्हाट्सऐप समूहों पर इन शेयरों का प्रचार किया जा रहा था, उस दौरान शेयरों की कीमत और कारोबार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अधिमान्य आवंटन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने खरीदारी में बढ़ी हुई रुचि का लाभ उठाया और अपनी शेयरधारिता का एक हिस्सा बड़ी संख्या में निवेशकों को बेच दिया।

तलाशी के दौरान प्राप्त निष्कर्ष – तलाशी के दौरान ईडी ने इस योजना से लाभान्वित होने वाले परिवार-संबद्ध व्यक्तियों के समूहों की पहचान की, जिनमें अफ्लुएंस जेम्स एवं अन्य, कावा एचयूएफ एवं अन्य तथा कोमलाय कंसल्टेंसी एवं अन्य शामिल हैं। जाँच में पता चला कि इन लाभार्थियों ने अधिमान्य वारंटों के माध्यम से लक्षित कंपनियों के शेयर कम कीमतों पर प्राप्त किए

थे। इसके बाद व्हाट्सऐप, ट्विटर (एक्स), एसएमएस तथा अन्य माध्यमों से चलाए गए सुनियोजित अभियान के जरिए शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया।

ईडी ने इन व्यक्तियों/संबद्ध संस्थाओं के लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के ट्रेडिंग खातों को फ्रीज कर दिया है। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, शेयर लेन-देन से संबंधित अभिलेख तथा संपत्ति संबंधी दस्तावेज भी जब्त किए गए।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।